<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टी ए/2297/2004/टोंक
किशना व अन्य बनाम गोपी व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

एकल पीठ

श्री धूकलराम कसवाँ, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के.पारीक अभिभाषक प्रार्थी
श्री अजीत सिंह राठौड अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी पीपलू के आदेश दिनांक 31-1-04 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अपने नोन स्पीकिंग आदेश के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना कोई आधार व तथ्य अंकित किये प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में 2017(1) डी एन जे(राज.) पेज 270,2008(2) डी एन

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2297/2004/टोंक किशना व अन्य बनाम गोपी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जे(राज.) पेज 908,959,2012(2) आर आर टी पेज 1023 की नजीरें पेश की।

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगराधीन आदेश को विधिसम्म्मत बताते हुये निगरानी खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि दावा वादी की शहादत में चल रहा है। इसलिये इस स्टेज पर आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण विधिक रूप से खारिज किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अवलोकन किया।

आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दीवानी को खारिज करने का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। उनके द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017(1)डी एन जे(राज.)पेज 270 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Civil Procedure Code,1908-O.6R.17- Application fileld to amend the petition-Trial court allowed the application without assigning any reason- Trial Court even not considered the arguments- Non speaking order passed -Held Order set aside and the Trial court is directed to pass a fresh order.

2008(2) डी एन जे(राज.) पेज 908,959, में यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2297/2004/टोंक किशना व अन्य बनाम गोपी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– Civil Procedure Code 1908-Sec.151-Application dismissed without considering the facts and law-Non speaking oredr- Order set aside and case remitted to the Tribunal to decide the application afresh by speaking order. Civil Procedure Code 1908-O.26R.9&10-Suit for permanent injunction-Disobedience of order of temporary injunction - Application filed for inspection of the disputed property to prove the disobedience of order-Application rejected- No reasons assigned for rejecting the application - Non speaking order- Order set aside and trial court is directed to reconsider the application . इसी प्रकार 2012(2) आर आर टी पेज 1023में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– Code of Civil Procedure 1908-Order 8,Rule 1,10&Order 41Rule 23-Partition decree passed in absence of W.S. of defendant-Only affidavit evidence of the plaintiff- Trial Court not assigned any reason-High Court remanded the case for denovo trial-Trial Court not critically examined the case-Held High court has not committed any illegalilty. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाब्ता दीवानी एवं उस पर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एक माह के अन्दर विस्तृत आदेश पारित करें। उभय पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–8–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	